किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के मामले में विचार करते समय सरकार को चरित्र पुस्तक में की गई पश्चात्वर्ती प्रविष्टियों पर जोर देने के साथ उसके सम्पूर्ण सेवा अभिलेख या गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए ।

17. हमारे समक्ष यह दलील नहीं दी गई थी कि प्रत्यर्थी की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति का आदेश असद्भावपूर्वक किया गया था या लोक हित में नहीं था और ऐसे पक्षकथन के अभाव में हम प्रत्यर्थी को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश में कोई कमी नहीं पाते हैं ।

18. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस अपील को मंजूर किया जाना चाहिए । आक्षेपाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है । तदनुसार अपील मंजूर की जाती है । खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

अपील मंजूर की गई ।

सिविल अपील सं.2085/2002 [अर्थात् विशेष इजाज़त याचिका (सिविल) सं.8975/2001]

19. सिविल अपील सं.2083/ 2002 [अर्थात् विशेष इजाज़त याचिका (सिविल) सं.8738/2001] में निकाले गए विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह अपील असफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है । खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

अपील खारिज की गई ।

उ./वि.

[2003] 1 उम. नि. प. 346

हर्षेन्द्र चौबीसा

बनाम

राजस्थान राज्य

30 जुलाई, 2002

न्यायमूर्ति डी.पी. महापात्र और न्यायमूर्ति पी. वेंकटराम रेड्डी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 और 16 [सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 273 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रयोग में तारीख 22 फरवरी, 1999 को जारी परिपत्र] – ग्राम सेवक और पदेन सचिव के पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए संबंधित जिले और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अतिरिक्त 10+5 प्रतिशत अंक और दिया जाना – यदि मात्र संबंधित जिले और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देकर योग्यता सूची में उन्हें ऊपर रख कर इस आधार पर नियुक्ति की जाती है कि वे बेहतर रूप से ग्रामीण जनजाति की भाषा और संस्कृति तथा जीवनचर्या को समझते हैं, तो इस प्रकार तैयार की गई योग्यता सूची से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अतिक्रमण में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों के साथ विभेद होगा, अतः यह अविधिमान्य है तथापि उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से पहले की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप न करते हुए पश्चात्वर्ती नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को दिए गए अतिरिक्त अंक कम करके उनकी योग्यता नए सिरे से नियत करना उचित होगा ।

राज्य की जिला परिषदों द्वारा ग्राम सेवक और पदेन सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए । उक्त पद भरे जाने के लिए जारी किए गए परिपत्र के अनुसार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अतिरिक्त

राज्य के निवासियों को दस प्रतिशत अंक, संबंधित जिले के निवासियों को दस प्रतिशत अंक और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पांच प्रतिशत अंक देकर योग्यता सूची तैयार की जानी थी । एक अभ्यर्थी जिसका चयन नहीं हो सका, द्वारा इस परिपत्र को प्रश्नगत करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय की आशंका से ग्रस्त अभ्यर्थियों ने विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में पांच विशेष इजाजत अपीलें फाइल कीं । न्यायालय द्वारा अपीलें भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – तैनात किए जाने का स्थान किसी लोक सेवक की इच्छा पर निर्भर नहीं है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक हितों में तैनाती और स्थानांतरण को उपयुक्त रूप से विनियमित किया जाता है । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करने की इच्छा हो । इस बाबत जो अभिकथन किया गया है कि जो व्यक्ति अग्रणी जिलों के होते हैं वे व्यक्ति ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं और उनकी तथाकथित प्रवृत्ति यह होती है कि वे शहरी क्षेत्रों या अग्रणी जिलों में अपना स्थानांतरण चाहते हैं, यह कपटपूर्ण दलील केवल इस आक्षेपित कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने के लिए दी गई है । न्यायालय यह नहीं समझ सका है कि कैसे जिन अभ्यर्थियों का किसी जिले में कार्य करने के लिए चयन किया जाता है वह कैसे उस जिले में कार्य करने से इनकार कर सकते हैं और वे किस प्रकार शहरी क्षेत्रों और अग्रणी जिलों में अपनी नियुक्ति या तैनाती करवाने में सफल रहते हैं । अपीलार्थियों का पक्षकथन यह नहीं है कि ग्रामसेवकों के पद राज्य काडर के हैं और उनका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जा सकता है और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में उनकी तैनाती की जा सकती है । स्पष्ट रूप से नियुक्त व्यक्तियों के पास कोई विकल्प नहीं होता है अपितु उन्हें जिले के भीतर उन ग्राम पंचायतों में कार्य करना होता है जहां पर उनकी नियुक्ति और तैनाती की जाती है । राज्य का पक्षकथन यह भी नहीं है कि अन्य जिलों के अभ्यर्थियों की प्रवृत्ति यह होती है कि वह त्यागपत्र दे देते हैं और पिछड़े जिलों में कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् अपना पद रिक्त कर देते हैं । इस बाबत ब्यौरे नहीं दिए गए हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि जिले में के आवेदकों को अधिमानता दिए जाने के लिए अपीलार्थियों द्वारा जो पहला कारण दिया गया है वह बिल्कुल असंगत है और उसकी संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है । हाल ही में न्यायालय ने अध्यापकों के मामले में निर्णय देते समय जो कारण दिए हैं उनमें से अधिकतर कारण इस अभिवाक् को नामंजूर करने के लिए ठीक हैं । न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई वास्तविक ब्यौरे या सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह सिद्ध होता हो कि बोले जानी वाली भाषा या बोली हर जिले में अलग-अलग है । यह उपधारणा करना युक्तिसंगत नहीं होगा कि निकट जिले या जिलों का कोई शिक्षित व्यक्ति प्रभावी रूप से जिस जिले में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह वहां की जनता के साथ बातचीत नहीं कर सकता है या वह उस जिले के निवासियों की जीवनचर्या की संस्कृति को नहीं जानता है । यदि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति उसके पैतृक जिले से भिन्न किसी अन्य जिले में की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता । यदि इस बाबत कोई वर्गीकरण किया जाता है तब भी ऐसा वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित होना चाहिए न कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर । यदि किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र की सामाजिक संस्कृति या भाषा अलग है और इस आधार पर कार्मिकों को नियुक्त किए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसे क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाना आवश्यक हो तब ऐसा केवल ऐसे प्रदेश या जिलों को परिलक्षित करके उनका सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही किया जा सकता है । कम-से-कम ऐसा तो किया ही जाना चाहिए । लोक नियोजन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले को एक अलग इकाई के रूप में मानने का कोई वास्तविक और युक्तिसंगत आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त यह उपधारणा करना भी गलत है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं वे पास के शहरों में रहने वाले अभ्यर्थियों से इन क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं । योग्यता की कसौटी को ऐसे कृत्रिम विभेद या असंगत उपधारणाओं का सहारा लेकर योग्यता कम किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । न्यायालय के समक्ष जो सामग्री रखी गई है उस पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि उसी जिले के और उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त अंक दिया जाना विभेद करने की कोटि के अंतर्गत आता है जिससे अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण होता है । 1999 की रिट याचिका सं. 6256 में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निर्णय

भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा, यद्यपि अन्य आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय ने तारीख 21 अक्तूबर, 1999 से पहले की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप किए बिना निर्णय को प्रभावी किया है । न्यायालय का यह मत है कि इस निर्णय को लागू करने की तारीख, तारीख 27 जुलाई, 2000 होनी चाहिए यह वह तारीख है जिस तारीख को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2000 की रिट याचिका सं. 5 को मंजूर किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि ग्रामसेवकों के चयन के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने की बाबत जारी की गई अधिसूचना अविधिमान्य है । अनुतोष देते समय न्यायालय को एक और अन्य महत्वपूर्ण इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि बाड़मेर और बीकानेर के जिला परिषदों द्वारा विज्ञापित पदों के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनमें से तीन व्यक्तियों के कहने पर पूरी चयन प्रक्रिया को अपास्त करना उचित नहीं है, विशेष रूप से जबकि नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसलिए न्यायालय अनुतोष केवल उन पक्षकारों तक सीमित करता है जिन्होंने अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की थी । तथापि, यह निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से अर्थात् तारीख 27 जुलाई, 2000 से लागू होगा । (पैरा 11, 12 और 13)

अपीली(सिविल) अधिकारिता : 2002 की सिविल अपील सं. 4424, 4425, 4430, 4426, 4448 और 4433.

राजस्थान उच्च न्यायालय के तारीख 27 फरवरी, 2001 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री एम. एन. कृष्णमणि, डा. राजीव धवन, यू. एन. बछावत, डा. ए. एम. सिंघवी, पी. पी. राव, अश्विनी कुमार, एस. बी. सान्याल (वरिष्ठ अधिवक्ता), पी. के. जैन, पी. के. गोस्वामी, सुश्री प्रतिभा जैन, श्री ए. मिश्र, सुश्री रुचि कोहली, सर्वश्री सुशील कुमार जैन, ए. मिश्र, मनीष सिंघवी, रणजी थॉमस, जावेद एम. राव, रणबीर यादव, अजय कुमार, कन्हैया प्रियदर्शी, पल्लव सिसोदिया, हेमंत शर्मा, सुश्री शालिनी सिसोदिया, सुश्री शोभा, सर्वश्री मनु मृदुल, देवेन्द्र नागर, सूर्य कान्त, भाव दत्त शर्मा, महाबीर सिंह, मनोज प्रसाद, अतुल कुमार, प्रशांत कुमार, प्रसेनजीत केसवानी, जोजफ पूकट्ट, राकेश गर्ग, के.एस. राणा, सी.एन. श्रीकुमार, डा. सूरत सिंह, अशोक के. महाजन, जगदेव सिंह, सूर्य कान्त और प्रवीण भाटी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वेंकटराम रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – इजाजत दी जाती है ।

2. न्यायालय के समक्ष अपीलों पर विचार किया गया और एक ही निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

3. प्रथम पांच अपीलों को 1999 की रिट याचिका सं. 6256 में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है । यह रिट याचिका चन्दन सिंह बेनीवाल नामक व्यक्ति द्वारा फाइल की गई थी जो कि इन प्रत्यर्थियों में से एक प्रत्यर्थी है । चन्दन सिंह बेनीवाल बाड़मेर जिले में ग्रामसेवक और पदेन सचिव के पद का एक आवेदक था । राजस्थान राज्य (ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग) द्वारा तारीख 22 फरवरी, 1999 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसरण में विभिन्न जिला परिषदों द्वारा उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, चयन प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित करने की रीति और योग्यता सूची तैयार करने के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित की गई थी । राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 273 के परन्तुक के अधीन सरकार को प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त परिपत्र को जारी किया गया था । इस परिपत्र के पैरा 7 में लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के अतिरिक्त कुछ अंक और जोड़े जाने, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य के निवासियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने,

संबंधित जिले के निवासियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने, की बाबत उपबंध किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित परीक्षा का परिणाम तारीख 30 अक्तूबर, 1999 को घोषित किया गया था । चूंकि उक्त चन्दन सिंह का चयन नहीं हो सका था, इसलिए उसने तारीख 22 फरवरी, 1999 के परिपत्र को प्रश्नगत करते हुए एक रिट याचिका फाइल की थी क्योंकि इस परिपत्र में राजस्थान राज्य के जिलों के और संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त अंक दिए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है । जब तक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह रिट याचिका सुनवाई के लिए आई थी तब तक तारीख 21 अक्तूबर, 1999 को दीपक कुमार सुथर वाले मामले में निकाले गए विनिश्चय में उच्च न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ ने जिला और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़े जाने के संबंध में अधिमानता दिए जाने को असंवैधानिक अभिनिर्धारित किया । पूर्ण न्यायपीठ ने शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में जारी किए गए इसी प्रकार के परिपत्र को अभिखंडित कर दिया था । तथापि, पूर्ण न्यायपीठ ने भविष्यलक्षी प्रभाव से इस निर्णय को लागू किया था और रिट याचियों को इस कारण से अनुतोष देने से इनकार कर दिया था कि यदि अतिरिक्त अंकों को निकाल भी दिया जाए तब भी रिट याचियों को इसका फायदा नहीं मिल सकेगा । इस निर्णय का पालन एक और अन्य पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय में किया गया था, जिसने जिला परिषद द्वारा अध्यापकों के पदों के चयन के संबंध में इसी प्रकार के परिपत्र की विधिमान्यता की परीक्षा की थी । यह कथन किया जा सकता है कि तारीख 18 नवम्बर, 1999 को पश्चात्वर्ती पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के सही होने के संबंध में न तो राज्य द्वारा या व्यथित पक्षकारों द्वारा इस न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया है । तारीख 18 नवम्बर, 1999 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई अपीलों का निपटारा हमारे द्वारा आज ही इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है ।

4. तारीख 27 फरवरी, 2001 के आक्षेपित निर्णय द्वारा ग्रामसेवकों के चयन के संबंध में दीपक कुमार सुथर वाले मामले में दिए गए निर्णय को लागू किया गया है । उच्च न्यायालय ने किसी भी अभ्यर्थी को निवास के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए बिना अभ्यर्थियों की एक नई योग्यता सूची तैयार किए जाने का निदेश किया था । इस निदेश के साथ तारीख 27 फरवरी, 2001 को इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया था । इस आक्षेपित चयन के अनुसरण में विभिन्न जिला परिषदों में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में कई अभ्यर्थियों को यह आशंका थी कि इस निर्णय के कारण वे प्रभावित होंगे इसलिए उन्होंने इस न्यायालय में विशेष इजाजत याचिका फाइल करने की इजाजत मांगी थी । तदनुसार, उन्हें इजाजत दे दी गई थी इस प्रकार हमारे समक्ष प्रथम पांच विशेष इजाजत याचिका लेकर ये अपीलें फाइल की गई हैं ।

5. 2001 की विशेष इजाजत याचिका सं. 17740 को जिला परिषद बीकानेर द्वारा 2000 की सिविल विशेष अपील सं. 1593 में तारीख 19 दिसम्बर, 2000 को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है । 2000 की रिट याचिका सं. 5 विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय के विरुद्ध जिला परिषद द्वारा अपील फाइल की गई है जिसका निपटारा तारीख 27 फरवरी, 2000 को किया गया था । विद्वान एकल न्यायाधीश ने दीपक कुमार वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का पालन किया था और इस अनुदेश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया था कि "जब भी प्रत्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध कार्रवाई करें तब उन्हें दीपक कुमार वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए" ।

6. ऊपरनिर्दिष्ट किए गए दोनों निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) ने तारीख 12 जून, 2001 को एक आदेश जारी किया था जिसमें उसने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालिका अधिकारियों को यह अनुदेश और निदेश दिया था कि वे अतिरिक्त अंक अपवर्जित करके तारीख 21 अक्तूबर, 1999 (अर्थात् दीपक कुमार वाले मामले में दिए गए निर्णय की तारीख) के पश्चात् नियुक्त किए गए ग्रामसेवकों की योग्यता सूची नए सिरे से बनाएं और तदनुसार नियुक्तियां विनियमित करें । इसलिए इस मामले में प्रश्न केवल जिले में निवास और जिले में के ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर 10% + 5% अतिरिक्त दिए जाने के संबंध में आक्षेपित अधिसूचना की

विधिमान्यता से संबंधित है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य में निवास के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाने के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है ।

7. राजस्थान राज्य की ओर से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा फाइल किए गए प्रतिशपथ पत्र में जिले के निवासियों और संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अधिमानता दिए जाने को दो आधारों पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया गया है और इन दोनों आधारों पर आज निपटाए गए अध्यापकों के मामलों में भी इसी प्रकार की दलीलें दी गई थीं ।

8. पहली दलील यह दी गई थी कि शहरी क्षेत्रों और अग्रणी जिलों से जिन व्यक्तियों का चयन किया जाता है वह दूरदराज के क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहां जनजाति के व्यक्ति रहते हैं वहां वे कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं । प्रतिशपथ पत्र में निम्नलिखित कथन किया गया है :–

> "यदि पदों को उपलभ्य सबसे अच्छे अभ्यर्थियों से भर भी दिया जाता है तब जब भी किसी शहरी और अग्रणी जिले में कोई रिक्त स्थान खाली होता है तब ऐसे अभ्यर्थी शहरी क्षेत्रों में अपना स्थानांतरण किए जाने के इच्छुक होते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्र जहां जनजाति रहती है वहां पर निरंतर प्रभावी ग्रामसेवकों का अभाव रहता है ।"

9. दूसरी दलील यह दी गई है कि जो अभ्यर्थी 'स्थानीय क्षेत्र' से हैं वे स्थानीय भाषा और बोली को जानते हैं और इसलिए वे स्थानीय जनता के साथ बेहतर तरीके से घुल-मिल जाते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और इस वजह से सबसे निचले स्तर पर ठीक प्रकार से शासन किया जा सकता है ।

10. राज्य द्वारा जो उपर्युक्त दो दलीलें दी गई हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं क्योंकि ये दोनों दलीलें गलत उपधारणाओं या धारणाओं पर आधारित हैं और इनके आधार पर अस्वाभाविक वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है और इस कारण इस बाबत जो उद्देश्य है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । हमने ऐसी दलीलों को प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में हाल ही में दिए गए निर्णय में नामंजूर किया है । जैसी कि दलील दी गई है कि ग्रामसेवक और पंचायत के सचिवों का संबंध स्थानीय स्वायत्त शासन से है इसलिए उनकी नियुक्ति के संबंध में अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए इसलिए हमने यह उचित समझा कि इन अपीलों में जो दलीलें दी गई हैं, उनके संबंध में अलग से विचार किया जाए यद्यपि अध्यापकों वाले मामले में फाइल की गई अपीलों में हमने अपने निर्णय में इस संबंध में ब्यौरेवार चर्चा की है और राय व्यक्त की हैं इसलिए हमें इस संबंध में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. अब हम राज्य द्वारा दिए गए पहले आधार पर विचार करेंगे । हमें इस आधार को नामंजूर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । तैनात किए जाने के स्थान किसी लोकसेवक की इच्छा पर निर्भर नहीं है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक हितों में तैनाती और स्थानांतरण को उपयुक्त रूप से विनियमित किया जाता है । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करने की इच्छा हो । इस बाबत जो अभिकथन किया गया है कि जो व्यक्ति अग्रणी जिलों के होते हैं वे व्यक्ति ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं और उनकी तथाकथित प्रवृत्ति यह होती है कि वे शहरी क्षेत्रों या अग्रणी जिलों में अपना स्थानांतरण चाहते हैं, यह कपटपूर्ण दलील केवल इस आक्षेपित कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने के लिए दी गई है । हम यह नहीं समझ सके हैं कि कैसे जिन अभ्यर्थियों का किसी जिले में कार्य करने के लिए चयन किया जाता है वह कैसे उस जिले में कार्य करने से इनकार कर सकते हैं और वे किस प्रकार वे शहरी क्षेत्रों और अग्रणी जिलों में अपनी नियुक्ति या तैनाती करवाने में सफल रहते हैं । अपीलार्थियों का पक्षकथन यह नहीं है कि ग्रामसेवकों के पद राज्य काडर के हैं और उनका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जा सकता है और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में उनकी तैनाती की जा सकती है । स्पष्ट रूप से नियुक्त व्यक्तियों के पास कोई विकल्प नहीं होता है अपितु उन्हें जिले के भीतर उन ग्राम पंचायतों में कार्य करना होता है जहां पर उनकी नियुक्ति और तैनाती की जाती है । राज्य का पक्षकथन यह भी नहीं है कि अन्य

जिलों के अभ्यर्थियों की प्रवृत्ति यह होती है कि वह त्यागपत्र दे देते हैं और पिछड़े जिलों में कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् अपना पद रिक्त कर देते हैं । इस बाबत ब्यौरे नहीं दिए गए हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि जिले में के आवेदकों को अधिमानता दिए जाने के लिए अपीलार्थियों द्वारा जो पहला कारण दिया गया है वह बिल्कुल असंगत है और उसकी संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

12. राज्य द्वारा जिस दूसरे आधार पर दलील दी गई है वह भी समान रूप से असंगत और अमान्य है । हाल ही में हमने अध्यापकों के मामले में निर्णय देते समय जो कारण दिए हैं उनमें से अधिकतर कारण इस अभिवाक् को नामंजूर करने के लिए ठीक हैं । हमारे समक्ष ऐसे कोई वास्तविक ब्यौरे या सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह सिद्ध होता हो कि बोले जानी वाली भाषा या बोली हर जिले में अलग-अलग है । यह उपधारणा करना युक्तिसंगत नहीं होगा कि निकट जिले या जिलों का कोई शिक्षित व्यक्ति प्रभावी रूप से जिस जिले में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह वहां की जनता के साथ बातचीत नहीं कर सकता है या वह उस जिले के निवासियों की जीवनचर्या की संस्कृति को नहीं जानता है । यदि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति उसके पैतृक जिले से भिन्न किसी अन्य जिले में की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता । यदि इस बाबत कोई वर्गीकरण किया जाता है तब भी ऐसा वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित होना चाहिए न कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर । यदि किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र की सामाजिक संस्कृति या भाषा अलग है और इस आधार पर कार्मिकों को नियुक्त किए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसे क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाना आवश्यक हो तब ऐसा केवल ऐसे प्रदेश या जिलों को परिलक्षित करके उनका सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही किया जा सकता है । कम-से-कम ऐसा तो किया ही जाना चाहिए । लोक नियोजन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले को एक अलग इकाई के रूप में मानने का कोई वास्तविक और युक्तिसंगत आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त यह उपधारणा करना भी गलत है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं वे पास के शहरों में रहने वाले अभ्यर्थियों से इन क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं । योग्यता की कसौटी को ऐसे कृत्रिम विभेद या असंगत उपधारणाओं का सहारा लेकर योग्यता कम किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । हमारे समक्ष जो सामंग्री रखी गई है उस पर विचार करने के पश्चात् हमें यह अभिनिर्धारित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि उसी जिले के और उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त अंक दिया जाना विभेद करने की कोटि के अंतर्गत आता है जिससे अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण होता है ।

13. अब हम अनुतोष के प्रश्न पर विचार करेंगे । हमारा यह मत है कि जैसा हमने आज कैलाश चन्द शर्मा वाले मामले में जो निर्णय दिया है उसमें यह कारण उपवर्णित किया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि निर्णय की तारीख से पहले नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर निर्णय का असर न हो । दीपक कुमार सुथर वाले मामले में भी यही मत व्यक्त किया गया है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में भी इसी निर्णय का पालन किया गया है । तथापि, 1999 की रिट याचिका सं. 6256 में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा, यद्यपि अन्य आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय ने तारीख 21 अक्तूबर, 1999 से पहले की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप किए बिना निर्णय को प्रभावी किया है । हमारा यह मत है कि इस निर्णय को लागू करने की तारीख, तारीख 27 जुलाई, 2000 होनी चाहिए यह वह तारीख है जिस तारीख को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2000 की रिट याचिका सं. 5 को मंजूर किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि ग्रामसेवकों के चयन के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने की बाबत जारी की गई अधिसूचना अविधिमान्य है । अनुतोष देते समय हमें एक और अन्य महत्वपूर्ण इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि बाड़मेर और बीकानेर के जिला परिषदों द्वारा विज्ञापित पदों के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनमें से तीन व्यक्तियों के कहने पर पूरी चयन प्रक्रिया को अपास्त करना उचित नहीं है, विशेष रूप से जबकि नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसलिए हम अनुतोष केवल उन पक्षकारों तक सीमित करते हैं जिन्होंने अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष के लिए उच्च न्यायालय

में रिट याचिका फाइल की थी । तथापि, यह निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से अर्थात् तारीख 27 जुलाई, 2000 से लागू होगा । तदनुसार हम निम्नलिखित निदेश करते हैं :–

1. तीन रिट याचियों जो कि इस मामले में प्रत्यर्थी हैं, उनके दावों के संबंध में इस निर्णय के प्रकाश में और तारीख 27 जुलाई, 2000 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों या जो अभ्यर्थी चयन सूची में हैं और जिनकी अभी नियुक्ति की जानी है, को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से इन तीनों रिट याचियों के संबंध में विचार किया जाए । इस प्रकार विचार किए जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि 10% और 5% अतिरिक्त अंक निकालने के पश्चात् इन रिट याचियों की स्थिति योग्यता सूची में ऊपर है, तब तारीख 27 जुलाई, 2000 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के स्थान पर यदि आवश्यक हो तो इन रिट याचियों को नियुक्त किया जाए ।

2. तारीख 26 जुलाई, 2000 तक जिन ग्रामसेवकों की नियुक्ति की जा चुकी है उनकी नियुक्ति के संबंध में इस निर्णय में अधिकथित विधि के प्रकाश में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

14. तदनुसार विशेष इजाजत याचिका लेकर फाइल की गई अपीलों का निपटारा किया जाता है । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किए जा रहे हैं ।

अपीलें भागतः मंजूर की गईं ।

वि.

[2003] 1 उम. नि. प. 352

तोरण सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

1 अगस्त, 2002

न्यायमूर्ति दोराईस्वामी राजू और न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 3,8 और 45] – हत्या – यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अत्यधिक अस्वाभाविक और अनधिसंभाव्य है और ऐसे साक्षी के साक्ष्य की अन्य साक्षियों के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है, तो ऐसे साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करना न्यायोचित नहीं है ।

सेशन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी माना गया था और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई थी और अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया गया था । सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सामान्यतः यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा यथाअभिपुष्ट विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित एक जैसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है या उन्हें नहीं उलटता है और साक्ष्य का मूल्यांकन करने के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है किन्तु इस मामले जैसे किसी मामले में जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा और प्रथम अपील के